4

4.1 ग्रामीण सशक्तीकरण हेतु उत्प्रेरक के रूप में सूक्ष्मवित्त

4.2 संधारणीय आजीविकाओं हेतु पहलें

4.3 कृषक उत्पादक संगठन

4.4 ग्रामीण एमएसएमई क्षेत्र का सुदृढ़ीकरण

4.5 ग्रामीण उद्यमियों, स्टार्टअपों, विपणन और ब्रांडिंग को सहयोग प्रदान करना

4.6 अनुसंधान को बढ़ावा देना और ज्ञान की साझेदारी का संवर्धन

4.7 आगे की राह

अध्याय 4 का अनुबंध

संधारणीय आजीविकाओं के माध्यम से समावेशी विकास

नाबार्ड ने आजीविकाओं के संवर्धन, कौशल निर्माण, संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण तथा वित्तीय और डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देने के माध्यम से समावेशी ग्रामीण विकास को संवर्धित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. इसके एकीकृत दृष्टिकोण ने आधार स्तर पर ठोस परिणाम दिए हैं जिससे स्थायी आजीविका और उद्यमिता के लाखों अवसर पैदा हुए हैं. अपने बहुआयामी वित्तीय और विकासात्मक सहयोगों के माध्यम से नाबार्ड ने एक सुदृढ़ पारिस्थितिकी तंत्र को संपोषित किया है जिसने आत्मनिर्भर ग्रामीण समुदायों के उद्भव और राष्ट्र के व्यापक आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है.

4.1 ग्रामीण सशक्तीकरण हेतु उत्प्रेरक के रूप में सूक्ष्मवित्त

4.1.1 स्वयं सहायता समूह - बैंक के बीच निर्बाध सहयोग की ओर

नाबार्ड ने स्वयं सहायता समूह - बैंक लिंकेज कार्यक्रम (एसएचजी-बीएलपी) के माध्यम से ग्रामीण बैंकिंग नवोन्मेषन को संवर्धित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. इस पहल ने मुख्यधारा के बैंकों के सहयोग से 17 करोड़ ग्रामीण परिवारों के लिए किफायती और संधारणीय ऋण तथा वित्तीय सेवाओं तक पहुँच को सुगम बनाया है (तालिका 4.1).

तालिका 4.1: वित्तीय वर्ष 2025 में स्वयं सहायता समूह - बैंक लिंकेज कार्यक्रम का कार्यनिष्पादन (31 मार्च 2025 तक)

विवरण	*दिनांक 31 मार्च 2025 तक की स्थिति (वित्तीय वर्ष 2024 की तुलना में)*			
	एसएचजी (लाख)	*परिवर्तन*	*समग्र राशि*	*परिवर्तन*
वित्तीय वर्ष 2025 के दौरान संवितरित ऋण	55.6	1%	₹2,08,282.7 करोड़	-0.5%
बकाया ऋण	84.9	10%	₹3,04,258.7 करोड़	17%
बैंकों के पास बचत	143.3	-1%	₹71,433.3 करोड़	10%
अनर्जक आस्तियाँ			1.7%	-15%
वित्तीय वर्ष 2025 में. प्रति एसएचजी औसत ऋण संवितरण			₹3.7 लाख	-2%

एसएचजी = स्वयं सहायता समूह.

एसएचजी-बीएलपी ने समय पर और किफायती ऋण तक पहुँच को सुगम बनाकर, बचत को प्रोत्साहित करने, सामाजिक पूँजी को सुदृढ़ करने और ग्रामीण आवासों में उद्यमिता का संवर्धन करने से ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाया है. इन परिणामों ने आय सृजन को बढ़ाने और निजी साहूकारों पर निर्भरता को कम करने में योगदान दिया है. इसके अतिरिक्त, नाबार्ड ने ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के तहत बैंकों, और दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से ग्राम स्तरीय कार्यक्रमों (वीएलपी) को सहयोग प्रदान कर एसएचजी-बैंक इंटरफेस को सुदृढ़ किया है. ग्राम स्तरीय कार्यक्रम, एसएचजी खाता खोलने, औपचारिक बैंकिंग सेवाओं तक पहुँच बनाने, ऋण लिंकेज, चुकौती अनुशासन और वित्तीय प्रणाली में व्यापकतर भागीदारी के लिए सहयोग उपलब्ध कराते हैं.

4.1.2 संयुक्त देयता समूहों के प्रभाव का सघनीकरण

नाबार्ड, बैंकों द्वारा संयुक्त देयता समूहों (जेएलजी) को संपार्श्विक-मुक्त ऋण दिए जाने को बढ़ावा दे रहा है, जिससे इन समूहों के गरीब और सीमांत सदस्यों को विविध कृषि और कृषीतर गतिविधियाँ करने में सक्षम बनाया जा सके जो उनकी आजीविका को सुदृढ़ करते हैं और जोखिम कम करते हैं. वित्तीय वर्ष 2025 में बैंकों ने 49.8 लाख संयुक्त देयता समूहों को सहयोग प्रदान किया जिससे 31 मार्च 2025 तक उनकी संचयी संख्या बढ़कर 380.7 लाख हो गई.

4.1.3 कुशल कार्यक्रम कार्यान्वयन हेतु कौशल विकास

नाबार्ड ने, बैंकरों, गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ), सरकारी अधिकारियों, स्वयं सहायता समूहों, एसएचजी महासंघों और प्रशिक्षकों सहित प्रमुख हितधारकों को लक्ष्य करते हुए प्रशिक्षण और क्षमता-निर्माण पहलों की एक शृंखला शुरू की है. वित्तीय वर्ष 2025 में कुल 0.4 लाख प्रतिभागियों ने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त किया. 31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार वित्तीय समावेशन निधि (एफआईएफ) के अंतर्गत

संचयी रूप से लगभग 50 लाख प्रतिभागियों और महिला स्वयं-सहायता समूह (डब्ल्यूएसएचजी) कार्यक्रम के तहत 5.4 लाख प्रतिभागियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया.

4.1.4 मनी पर्स एप्लिकेशन पर प्रायोगिक परियोजना

स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को उनके घर पर कुशल, तत्समय वित्तीय सेवाएँ देने, बैंकों और स्वयं सहायता समूहों के लिए टर्नअराउंड टाइम (टीएटी) और लेनदेन लागतों को कम करने तथा स्वयं सहायता समूहों के गतिशील, तत्समय श्रेणीकरण को सक्षम बनाने हेतु व्यक्तिगत सदस्य-वार वित्तीय डेटा कैप्चर करने के लिए वित्तीय वर्ष 2024 में मनी पर्स (एमपी) एप्लिकेशन पर एक प्रायोगिक परियोजना को मंजूरी दी गई थी. इसे ओडिशा ग्राम्य बैंक और केरल स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के सहयोग से शुरू किया गया था. एसएचजी लेनदेनों के डिजिटाइजेशन और प्रौद्योगिकी के उपयोग से, एमपी ऐप से यह अपेक्षित है कि वह ऋण सूचना कंपनियों (सीआईसी) को सहजता से सदस्य-स्तरीय डेटा उपलब्ध कराएगा और उनकी क्रेडिट हिस्ट्री का निर्माण करेगा, जिससे व्यक्तिगत सदस्यों को आजीविका संबंधी गतिविधियों के लिए ऋण उपलब्ध कराना सुगम हो सके.

4.2 संधारणीय आजीविकाओं के लिए पहलें

4.2.1 कौशल और उद्यमिता विकास कार्यक्रम

ग्रामीण भारत में मजदूरी और स्व-रोजगार दोनों के संवर्धन हेतु माँग-संचालित और परिणाम-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाते हुए नाबार्ड, सूक्ष्म उद्यम विकास कार्यक्रमों (एमईडीपी), आजीविका और उद्यम विकास कार्यक्रमों (एलईडीपी), तथा कौशल विकास कार्यक्रमों (एसडीपी) का कार्यान्वयन करता है (चित्र 4.1). ये पहलें कौशल विकास, उद्यमिता संवर्धन और उद्यम विकास द्वारा ग्रामीण समुदायों के लिए संधारणीय आजीविकाओं के संवर्धन पर केंद्रित होती हैं. व्यक्तियों और समुदायों को सशक्त बनाने के लिए क्षमता निर्माण, बाजार संपर्क और वित्तीय पहुँच जैसे क्षेत्रों में लक्षित सहायता प्रदान की जाती है.

चित्र 4.1: कौशल विकास और उद्यमिता विकास कार्यक्रम (31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार)

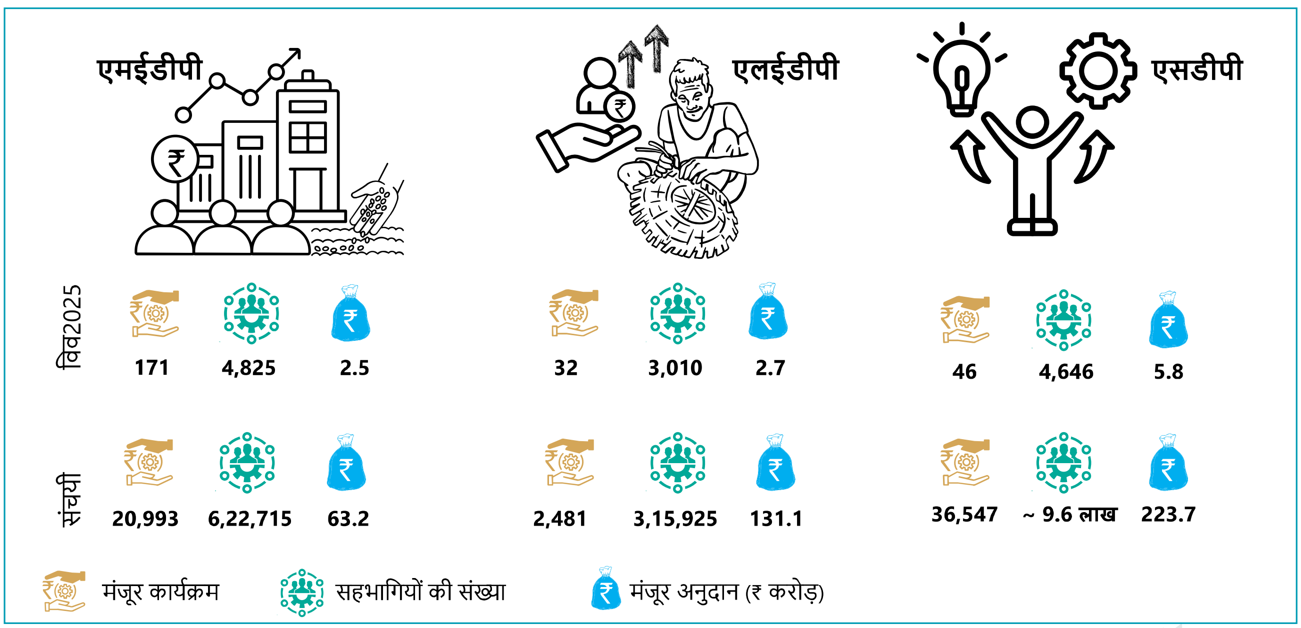

एलईडीपी = आजीविका और उद्यम विकास कार्यक्रम, एमईडीपी = सूक्ष्म उद्यम विकास कार्यक्रम, एसडीपी = कौशल विकास कार्यक्रम.

4.2.2 एम-सुविधा: सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के लिए महिलाओं को कौशलों से सशक्त करना

आद्योपांत सहयोग की रणनीति से युक्त, एम-सुविधा, महिलाओं के लिए आवश्यकता-आधारित और स्थान-विशिष्ट कौशल विकास परियोजनाएँ उपलब्ध कराती है, जो कृषि और कृषीतर क्षेत्रों में स्थायी ग्रामीण आजीविका समाधानों का संवर्धन करती है. इस योजना को एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) मोड में कार्यान्वित किया जा रहा है. प्रायोगिक परियोजना के अंतर्गत तमिलनाडु के विरुदुनगर जिले में 500 स्वयं सहायता समूह सदस्यों की आजीविकाओं को सुदृढ़ करने के लिए वुमेन ऑर्गेनाइज़ेशन फॉर मास एक्शन (वुमन) को ₹40.5 लाख की राशि मंजूर की गई थी. परियोजना के पूरा होने पर ₹1 करोड़ का ऋण प्रवाह होने का अनुमान है.

4.2.3 कौशल विकास और उद्यमिता विकास हेतु साझेदारी-संचालित दृष्टिकोण

ग्रामीण महिला स्वयं सहायता समूहों को लाभ पहुँचाने के एक रणनीतिक गठबंधन के रूप में नाबार्ड और डीएवाई-एनआरएलएम ने दिनांक 27 फरवरी 2024 को एक ऐतिहासिक सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए. इस सहमति ज्ञापन का उद्देश्य एसएचजी महासंघों के माध्यम से डिजिटल लेनदेनों को बढ़ावा देना है, जिससे सदस्यों के लिए टर्नअराउंड टाइम को कम से कम करने हेतु पारदर्शिता और दक्षता लाई जा सके. इस परियोजना में, बैंकों के बिजनेस कॉरेस्पॉण्डेंट के रूप में महिला स्वयं सहायता समूह सदस्यों के नियोजन के विकल्पों का भी पता लगाया जाना शामिल है. सहमति ज्ञापन के अंतर्गत राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों को ₹1,005 लाख की राशि मंजूर की गई थी और विभिन्न सहयोगों के लिए ₹300.8 लाख जारी किए गए.

इस सहयोग के एक प्रमुख क्षेत्र के रूप में स्वयं सहायता समूहों को विपणन आधारभूत संरचना, जैसे कि ग्रामीण हाट, ग्रामीण मार्ट की स्थापना और नाबार्ड की ग्राम्य विकास निधि (जीवीएन) के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रदर्शनियों/ मेलों तथा 'मॉल में स्टॉल' में भाग लेने हेतु सहयोग शामिल है. तदुपरांत, 20 ग्रामीण मार्ट, 8 प्रदर्शनियाँ, 1 ग्रामीण हाट और 1 मॉल में स्टॉल परियोजना को मंजूरी दी गई.

नाबार्ड ने समावेशी विकास की पहलों को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम (एनएसएफडीसी), राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम (एनबीसीएफडीसी), तथा राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम (एनएसकेएफडीसी) के साथ सहमति ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं.

संयुक्त रूप से चुने गए पाठ्यक्रमों और कार्यक्रमों के आधार पर एनएसएफडीसी और एनबीसीएफडीसी को ₹1 करोड़ की कुल राशि के साथ आठ कौशल विकास कार्यक्रम (एसडीपी) मंजूर किए गए, इस सहयोग से सीमांत और वंचित समुदायों को अति रियायती शर्तों पर ऋण सहायता की सुविधा देने से नाबार्ड के विकासात्मक सहयोगों के अनुपूरक के रूप में कार्य करने की उम्मीद है, जिससे संधारणीय आजीविका के अवसरों तक उनकी पहुँच बढ़ेगी.

4.2.4 लखपति दीदी पहल

भारत सरकार की लखपति दीदी पहल के अनुरूप, कृषि और कृषीतर क्षेत्रों में आय सृजन की गतिविधियों में कार्यरत परिपक्व महिला स्वयं सहायता समूहों की अलग-अलग महिला सदस्यों को वित्तपोषित करने हेतु क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए एक मॉडल योजना तैयार की गई थी. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को इस योजना को उचित संशोधनों के साथ अपनाने हेतु सूचित किया गया.

4.2.5 सोशल स्टॉक एक्सचेंज और सीबीएफ-एसएसई के तहत गतिविधियाँ

क्षमता निर्माण निधि - सोशल स्टॉक एक्स्चेंज (सीबीएफ - एसएसई) की स्थापना वित्तीय वर्ष 2023 में ₹100 करोड़ की समूह निधि के साथ की गई थी और इसे नाबार्ड में रखा गया है. यह निधि विभिन्न अ-लाभोद्दिष्ट संगठनों (एनपीओ), लाभोद्दिष्ट उद्यमों, सामाजिक प्रभाव आकलनकर्ताओं, निवेशकों और सोशल स्टॉक एक्स्चेंज से जुड़े अन्य हितधारकों के लिए जागरूकता और क्षमता निर्माण गतिविधियों को सहयोग प्रदान करती है. नाबार्ड एक संधारणीय सोशल स्टॉक एक्स्चेंज इकोसिस्टम विकसित करने में सक्रिय रूप से लगा हुआ है.

नाबार्ड ने तीन एसएसई लिस्टिंग्स के लिए ग्राम्य विकास निधि और जनजातीय विकास निधि (टीडीएफ) में से अंशदानों के साथ ₹65 लाख के जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल (जेडसीजेडपी) लिखतों को सब्स्क्राइब किया है. नाबार्ड, नेशनल स्टॉक एक्स्चेंज (एनएसई), बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) और अन्य हितधारकों के समन्वित प्रयासों के माध्यम से 11 अ-लाभोद्दिष्ट संगठन (एनपीओ) एसएसई पर लिस्टेड किए गए थे. ऑनबोर्डिंग को सुगम बनाने के लिए, नाबार्ड ने पहले 20 लिस्टेड अ-लाभोद्दिष्ट संगठनों (एनपीओ) को ₹5 लाख की एकबारगी प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया. दिनांक 31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार बीएसई-एसएसई और एनएसई-एसएसई दोनों पर 142 एनपीओ पंजीकृत किए जा चुके हैं.

4.3 कृषक उत्पादक संगठन

कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ) किसानों के समूह होते हैं जो बाज़ार तक अपनी पहुँच बढ़ाने, सामूहिक सौदेबाजी की अपनी शक्ति को सुदृढ़ करने तथा एकत्रीकरण और मूल्य वर्धन से अपनी आय में सुधार लाने के लिए गठित किए जाते हैं. नाबार्ड अपनी उत्पादक संगठन विकास निधि (पीओडीएफ) तथा उत्पादक संगठन विकास और उत्थान समूह निधि (प्रोड्यूस) के माध्यम से कृषक उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के संवर्धन में अग्रणी रहा है. यह 10,000 एफपीओ के गठन और संवर्धन की केंद्रीय क्षेत्र की योजना (सीएसएस) के लिए कार्यान्वयनकर्ता संस्थाओं में से एक के रूप में भी कार्य करता है (तालिका 4.2, बॉक्स 4.1 और चित्र 4.2).

तालिका 4.2: कृषक उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का निधि-वार संवर्धन (राशि ₹ करोड़ में)

विवरण		प्रोड्यूस	पीओडीएफ-आईडी	सीएसएस	कुल
मंजूर एफपीओ (संख्या)	समग्र लक्ष्य	2,000	3,000	1,694	6,694
	संचयी	2,154	3,591	1,694	7,439
	विव 2025 में उपलब्धि	0	84	0	84
पंजीकृत एफपीओ (संख्या)	संचयी	2,094	2,427	1,694	6,215
	विव 2025 में[क]	0	151	8	159
मंजूर अनुदान	संचयी	221.3	457.8	806.2	1,485.3
	विव 2025 में	-	80.9	29.2	110.1
प्रयुक्त अनुदान	संचयी	200.0	257.3	338.7	796.0
	विव 2025 में	-	43.8	106.0	149.8
शेयरधारकों के रूप में शामिल किसान (लाख)		10.2	11.1	6.3	27.6
एफपीओ द्वारा एकत्र संचयी शेयर पूँजी		113.3	121.1	104.6	339.0
शेष समूह निधि, 31 मार्च 2024		0.0	260.0	-	260.0
विव 2025 के दौरान प्रयुक्त समूह निधि		0.0	43.8	106.0	149.8
शेष समूह निधि, 31 मार्च 2025		-	223.6[ख]	-	223.6

[क] वित्तीय वर्ष 2025 के दौरान पंजीकृत 159 एफपीओ में से 127 एफपीओ विव 2024 में मंजूर किए गए थे.
[ख] अप्रयुक्त निधि पर ब्याज शामिल है.

विव = वित्तीय वर्ष, सीएसएस = केंद्रीय क्षेत्र की योजना, एफपीओ = कृषक उत्पादक संगठन, पीओडीएफ - आईडी = उत्पादक संगठन विकास निधि - ब्याज अंतर, प्रोड्यूस = उत्पादक संगठन विकास और उत्थान समूह निधि.

बॉक्स 4.1: एफपीओ क्रेडिट लीग 2025

"एफपीओ क्रेडिट लीग 2025" टेलीविज़न के लोकप्रिय फॉर्मेट शार्क टैंक से प्रेरित, नाबार्ड के मध्य प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय की एक अनोखी पहल है. इस पहल के अंतर्गत संधारणीय कृषि विकास के लिए सहयोग को बढ़ावा देने हेतु 30 एफपीओ और 14 वित्तीय संस्थाओं को साथ लाया गया. इन कृषक उत्पादक संगठनों ने कारोबार की अपनी योजनाएँ प्रस्तुत कीं, जबकि वित्तीय संस्थाओं को एफपीओ परिचालनों की जटिलताओं की आंतरिक जानकारियाँ मिलीं. मूल्यांकनों के आधार पर क्रेडिट लीग के परिणामस्वरूप 29 सहभागी कृषक उत्पादक संगठनों के लिए ₹5 लाख से ₹40 लाख तक के ऋण सहयोगों को सैद्धांतिक अनुमोदन प्राप्त हुआ, जिनकी कुल राशि ₹4 करोड़ थी.

एफपीओ = कृषक उत्पादक संगठन.

चित्र 4.2: विव 2025 तक कृषक उत्पादक संगठनों का संवर्धन (मुख्य बातें)

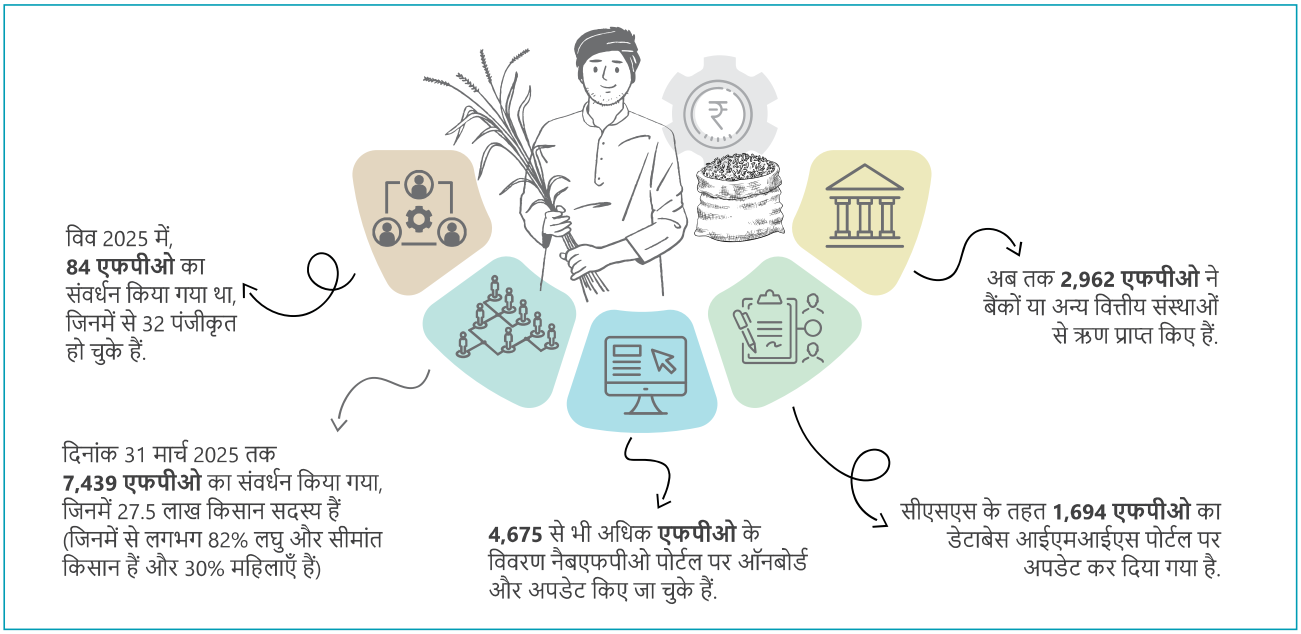

सीएसएस = केंद्रीय क्षेत्र की योजना, एफपीओ = कृषक उत्पादक संगठन, आईएमआईएस = एकीकृत प्रबंध सूचना प्रणाली.

नोटः नैबएफपीओ (nabfpo.nabard.org) नाबार्ड द्वारा विकसित एक पोर्टल है जिसमें हितधारकों के प्रयोग के लिए सदस्यों के प्रोफ़ाइल सहित डिजिटाइज्ड एफ़पीओ डेटा शामिल है.

4.3.1 वित्तीय वर्ष 2025 में एफ़पीओ संवर्धन और विकास की पहलें

- नाबार्ड ने कृषक उत्पादक संगठनों के लिए एक-वर्षीय मूल्य संरक्षण कार्यक्रम हेतु नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज (एनसीडेक्स) को ₹25 करोड़ मंजूर किए जिससे किसानों को पण्य बाज़ार में विक्रय विकल्पों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके. इस कार्यक्रम ने 6,604 मीट्रिक टन पण्यों - विशेष रूप से जीरा, धनिया और हल्दी - की हेजिंग के लिए कुल ₹4.8 करोड़ की प्रीमियम सब्सिडी प्रदान की, जिसमें 81 एफपीओ और 1,22,109 किसानों ने भाग लिया.
- लघु कृषक कृषि व्यवसाय संघ (एसएफएसी) और डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क (ओएनडीसी) के साथ साझेदारी में नाबार्ड 24 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 50 स्थानों पर "तरंग - सामूहिकता का उत्सव" नाम से एफपीओ मेले आयोजित कर रहा है. इन आयोजनों का उद्देश्य एफपीओ और कृषीतर उत्पादक संगठनों (ओएफपीओ) के उत्पादों को शोकेस करना, ब्रांडिंग और विपणन में सहायता करना तथा ओएनडीसी नेटवर्क के माध्यम से देशव्यापी बिक्री को बढ़ाना है. वित्तीय वर्ष 2025 में, दूसरे चरण में 14 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में 26 मेले आयोजित किए गए.
- नाबार्ड ने महाराष्ट्र सरकार के अंतर्गत महाराष्ट्र कृषि व्यवसाय और ग्रामीण परिवर्तन (स्मार्ट) परियोजना के सहयोग से एफपीओ एक्सेलेरेटर परियोजना के लिए ₹388.2 लाख मंजूर किए, जिसमें 40 एफपीओ को शामिल किया गया.
- 10,000 एफपीओ के गठन और संवर्धन पर केंद्रीय क्षेत्र की योजना के तहत ₹1,000 करोड़ के कॉर्पस के साथ नाबार्ड के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक संस्था, नैबसंरक्षण ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड की ट्रस्टीशिप में एक ऋण गारंटी निधि की स्थापना की गई है जिसमें कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और नाबार्ड द्वारा संयुक्त रूप से अंशदान किया जा रहा है. अब तक ऋण देने वाली 97 पात्र संस्थाओं (ईएलआई) को नैबसंरक्षण के साथ ऑनबोर्ड किया गया है, और 2,259 एफपीओ (3,054 गारंटियों को शामिल करते हुए) के लिए ₹558.9 करोड़ की ऋण गारंटी सुरक्षा मंजूर की गई है.
- 10,000 एफपीओ के गठन और संवर्धन पर केंद्रीय क्षेत्र की योजना (सीएसएस) के अंतर्गत एफपीओ की लाइसेंसिंग को सुगम बनाने के लिए एक सैचुरेशन अभियान चलाया गया. जारी किए गए लाइसेंसों में ये शामिल हैं: बीज के लिए 1,198, उर्वरक के लिए 1,090, कीटनाशकों के लिए 914, मंडी परिचालनों के लिए 815, भारतीय खाद्य संरक्षण एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के लिए 1,061 तथा माल और सेवा कर (जीएसटी) के लिए 350. कुल मिलाकर 1,130 एफपीओ को ओएनडीसी प्लैटफॉर्म पर ऑनबोर्ड किया गया.

- नाबार्ड ने बैंकर ग्रामीण विकास संस्थान (बर्ड), लखनऊ में महिला एफपीओ की नेटवर्किंग पर एक गोलमेज सम्मेलन को प्रायोजित किया. सम्मेलन में महिलाओं के नेतृत्व वाले एफपीओ की सफलता की कहानियों को साझा करने के साथ-साथ एक अनुकूल एफपीओ पारिस्थितिकी तंत्र के विकास को सहयोग प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया गया.
- उप प्रबंध निदेशक (डीएमडी), नाबार्ड की अध्यक्षता में, भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई), नैबकिसान, नैबसंरक्षण, एक्सिस बैंक और मध्य भारत एफपीओ कंसोर्टियम के प्रतिनिधियों के साथ एक कार्य दल का गठन किया गया है. यह कार्य दल एफपीओ वित्तपोषण के लिए एक रणनीतिक कार्य-योजना विकसित करने, वित्तीय दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देने तथा बैंकरों के लिए एक सुलभ संदर्भ के रूप में कार्य करने वाले एक ऋण योग्यता आकलन उपकरण तैयार करने के लिए जिम्मेदार होगा.
- नाबार्ड ने एक एफपीओ उत्पाद सूची लॉन्च की है, जिसका प्रचार इसके सोशल मीडिया चैनलों के माध्यम से किया जा रहा है. इस पहल का उद्देश्य डिजिटल विपणन की क्षमता का लाभ उठाकर किसानों को बेहतर मूल्य दिलाने में सहायता करना है और साथ ही कृषि क्षेत्र के विकास का संवर्धन करना है.

4.3.2 कृषि क्षेत्र का संवर्धन

नाबार्ड अपनी कृषि क्षेत्र संवर्धन निधि (एफएसपीएफ) के माध्यम से कृषि नवोन्मेषों, प्रौद्योगिकी अंतरण और क्षमता निर्माण को सहयोग प्रदान करता है. इसकी समूह निधि ₹60 करोड़ की है और इसकी पुन:पूर्ति नाबार्ड के लाभ के विनियोजन के माध्यम से प्रति वर्ष की जाती है. दिनांक 31 मार्च 2025 तक एफएसपीएफ के तहत संचयी संवितरण ₹281.83 करोड़ रहा.

डीपीआर मोड के अंतर्गत कार्यान्वित एफएसपीएफ परियोजनाएँ

डीपीआर मोड के अंतर्गत कृषि और अनुषंगी क्षेत्रों की ऐसी परियोजनाओं को सहायता प्रदान की जाती है जो नवोन्मेषों का संवर्धन करती हैं, उत्पादकता बढ़ाती हैं, बाजार पहुँच में सुधार लाती हैं तथा मूल्य शृंखलाओं को सुदृढ़ करती हैं. इसमें जिन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, उनमें कमजोर जिलों में जलवायु-अनुकूल कृषि, किसान समूह तथा इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी), सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी), कृत्रिम मेधा और मशीन लर्निंग (शोकेस 4.1) का लाभ उठाने वाले हाई-टेक सहयोग शामिल हैं. इन परियोजनाओं को आम-तौर पर 2 से 3 वर्ष के लिए मंजूर किया जाता है.

निधि की स्थापना से अब तक, डीपीआर मोड के तहत 2,070 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है जिनमें कुल ₹156.2 करोड़ की अनुदान सहायता संवितरित की गई. इनमें से वित्तीय वर्ष 2025 में 101 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई जिनमें ₹29.04 करोड़ की अनुदान सहायता शामिल है.

डीपीआर मोड में नवोन्मेषी परियोजनाएँ

वर्ष के दौरान डीपीआर मोड की 12 नवोन्मेषी परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई, जिनमें निम्नलिखित परियोजनाएँ शामिल हैं:

- केरल कृषि विश्वविद्यालय, त्रिशूर, केरल में ड्रोन पायलट ट्रेनिंग हब की स्थापना;
- तेलंगाणा में बौद्धिक अक्षमता वाले वयस्कों के लिए ग्रीन स्किलिंग और आजीविका कार्यक्रम का कार्यान्वयन;
- तेलंगाणा में बुनकरों के लिए संधारणीयता और विपणन-योग्यता बढ़ाने हेतु इकत वस्त्र उत्पादन प्रक्रिया के लिए डिजिटल ट्रेसेबिलिटी तंत्र की स्थापना; और
- हरियाणा में स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को सूक्ष्म उद्यम की मालिक बनाने की पहल.

शोकेस 4.1: हरियाणा के हिसार और सिरसा जिलों में नवोन्मेषी आईओटी-आधारित झींगा पालन पर प्रायोगिक परियोजना

परियोजना: हिसार और सिरसा जिले में आईओटी आधारित झींगा पालन पर प्रायोगिक परियोजना

स्थान: हिसार जिले का मिरकां और सिरसा जिले का करमसाना गाँव

निष्पादक संस्था: यह परियोजना नाबार्ड की सहायता से एरुवाका टेक्नोलॉजीज़ के साथ मिलकर एक्स्पर्ट स्किल डेवलपमेंट द्वारा कार्यान्वित की जा रही है.

अनुदान सहायता: ₹24.8 लाख

उद्देश्य

- आईओटी आधारित झींगा पालन की लाइव प्रदर्शन इकाइयाँ स्थापित करना, ताकि सिरसा और हिसार के मौजूदा और संभावित झींगा किसानों का क्षमता निर्माण हो सके.
- पारंपरिक झींगा पालन विधियों की तुलना में आईओटी पारिस्थितिकी तंत्र के प्रदर्शन का मूल्यांकन और तुलनात्मक अध्ययन करना.
- आईओटी-समर्थित झींगा पालन पारिस्थितिकी तंत्र के साथ संरेखित प्रथाओं का एक पूरा सेट विकसित और मानकीकृत करना.
- आईओटी पारिस्थितिकी तंत्र का उपयोग कर झींगा पालन की आर्थिक व्यवहार्यता का आकलन करना.

आईओटी-आधारित झींगा कृषि उत्पाद को प्रदर्शित करता हुआ किसान; मिरकां, हिसार, हरियाणा.

सहयोग

- दो वर्ष की इस पहल के तहत तीन स्थानों पर आईओटी इकाइयाँ स्थापित की गई हैं जो कुल 7 एकड़ क्षेत्रफल में हैं – एक स्थान हिसार जिले में है (मीरकां गाँव में 3 एकड़) और दो स्थान सिरसा जिले में हैं (बारागुधा और करमसाना गाँवों में 2-2 एकड़).
- इस परियोजना में पॉण्ड मदर (स्वचालित फीडर), श्रिम्प टॉक (ध्वनि-विज्ञान आधारित इंटेलिजेंट फीडिंग सिस्टम) और घुलित ऑक्सीजन और पीएच स्तर जैसे महत्वपूर्ण जल मापदंडों की तत्समय निगरानी के लिए पॉण्ड गार्ड शामिल हैं.
- क्लाउड-आधारित तालाब प्रबंधन सॉफ़्टवेयर पॉण्डलॉग्स, किसानों को मोबाइल फोन के माध्यम से तालाब संबंधी डेटा का प्रयोग करने हेतु सक्षम बनाता है, जिससे वे जानकारी पर आधारित निर्णय ले सकते हैं.
- मध्य से दीर्घ कालक्रम में, तालाब के परिचालनों से संबंधित ऐतिहासिक डेटा से किसानों की ऋण-योग्यता बढ़ने और बीमा प्रीमियम लागत कम होने की उम्मीद की जाती है.
- सौर-ऊर्जा से चलने वाले उपकरण समय पर चेतावनियाँ देते हैं, दूर से संचालित करने की क्षमता उपलब्ध कराते हैं तथा खेती में सुगमता लाते हैं, जिससे समग्र कृषि अनुभव में सुधार आता है.

उपलब्धि >> परिणाम >> प्रभाव

- चारा दक्षता: चारा रूपांतरण अनुपात में 17% से 23% तक के सुधार के साथ, अधिक दक्ष चारा उपयोग ने समग्र चारा लागत को कम कर दिया है,
- जीवित बचने की दर: झींगों की जीवित बचने की दर में 12% से 90% तक की वृद्धि हुई.
- श्रम दक्षता: श्रम लागत में 50% तक की कमी हुई और वास्तविक समय की निगरानी और निर्णयन सहयोग के माध्यम से शारीरिक श्रम न्यूनतम हो गया.
- लाभप्रदता: किसानों ने प्रति एकड़ प्रति कल्चर साइकल लगभग ₹1.5 लाख से ₹2 लाख तक की आय के साथ लाभ में 32% की वृद्धि देखी.
- निवल अतिरिक्त आय: निविष्टियों की बचत और बेहतर मूल्य प्राप्ति के कारण किसानों ने चार माह के एक ही चक्र में प्रति एकड़ लगभग ₹1.3 लाख कमाए.
- बड़े स्तर पर किए जा सकने की योग्यता: प्रौद्योगिकी सफल प्रदर्शन और उसके प्रभाव ने सिरसा जिले में झींगा पालन के तहत आने वाले क्षेत्र में वृद्धि की है.
- दोहराए जाने की योग्यता: इस परियोजना मॉडल को राज्य के सभी लवणता प्रभावित जिलों में बड़े पैमाने पर अपनाया और दोहराया जा सकता है.

सीएटी - प्रौद्योगिकी अपनाने हेतु क्षमता निर्माण

सीएटी कार्यक्रम, प्रशिक्षण और परिचयात्मक दौरों के माध्यम से किसानों के क्षमता निर्माण के लिए अनुदान सहायता प्रदान करता है जिससे कृषि और अनुषंगी क्षेत्रों में नई प्रौद्योगिकियों और सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने में सुविधा होती है. एफएसपीएफ की स्थापना के बाद से, 2,866 परिचयात्मक दौरों के लिए ₹24 करोड़ की अनुदान सहायता के साथ सहयोग प्रदान किया गया है जिससे 84,485 किसान लाभान्वित हुए हैं.

वित्तीय वर्ष 2025 में 92 परिचयात्मक दौरे आयोजित किए गए जिनमें 2,425 किसानों का क्षमता निर्माण किया गया जिसके लिए कुल ₹1.7 करोड़ की अनुदान सहायता प्रदान की गई.

4.4 ग्रामीण एमएसएमई क्षेत्र का सुदृढ़ीकरण

ग्रामीण सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का संवर्धन, आजीविका के वैकल्पिक विकल्पों को प्रोत्साहित करने के लिए, ग्रामीण भारत की कृषि आय पर निर्भरता को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. यह क्षेत्र न केवल आय के अतिरिक्त स्रोत उपलब्ध कराता है बल्कि ग्रामीण बेरोज़गारी को भी कम करता है, आजीविकाएँ बढ़ाता है तथा कृषि की गतिविधियों के पूरक के रूप में आर्थिक विकास में योगदान देता है.

नाबार्ड ग्रामीण एमएसएमई को सहयोग प्रदान करने के लिए रणनीतिक दृष्टिकोण अपना रहा है जिसमें हथकरघा, हस्तशिल्प और कृषि प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों पर केंद्रित सहयोगों की एक व्यापक शृंखला शामिल है. इनमें कौशल विकास, उत्पाद विविधीकरण, विपणन पहलें, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, भौगोलिक संकेतक (जीआई) पंजीकरण और बहुत कुछ शामिल है – जिनका उद्देश्य मूल्य वर्धन, डिजाइन नवोन्मेष और उद्यम विकास के माध्यम से स्थानीय रोज़गार सृजित करना है.

4.4.1 ग्राम्य विकास निधि (जीवीएन) के अंतर्गत कार्यनिष्पादन

ग्राम्य विकास निधि की स्थापना वित्तीय वर्ष 2016 में ग्रामीण क्षेत्रों में कृषीतर एमएसएमई गतिविधियों को सहयोग प्रदान करने के लिए की गई थी. इसका प्राथमिक उद्देश्य पारंपरिक कृषि से परे उद्यमिता, कौशल विकास और आजीविका विविधीकरण को बढ़ावा देना है. इस निधि का उपयोग स्वयं सहायता समूहों और कृषीतर उत्पादक संगठनों जैसी आधार स्तरीय संस्थाओं का संवर्धन करने और उन्हें सुदृढ़ बनाने के लिए किया जाता है.

वित्तीय वर्ष 2025 के दौरान जीवीएन के तहत संवितरणों की राशि ₹57.8 करोड़ थी, जबकि जीवीएन की विविध योजनाओं के तहत विभिन्न परियोजनाओं के लिए ₹57.7 करोड़ मंजूर किए गए (चित्र 4.3).

चित्र 4.3: जीवीएन के तहत सहयोग

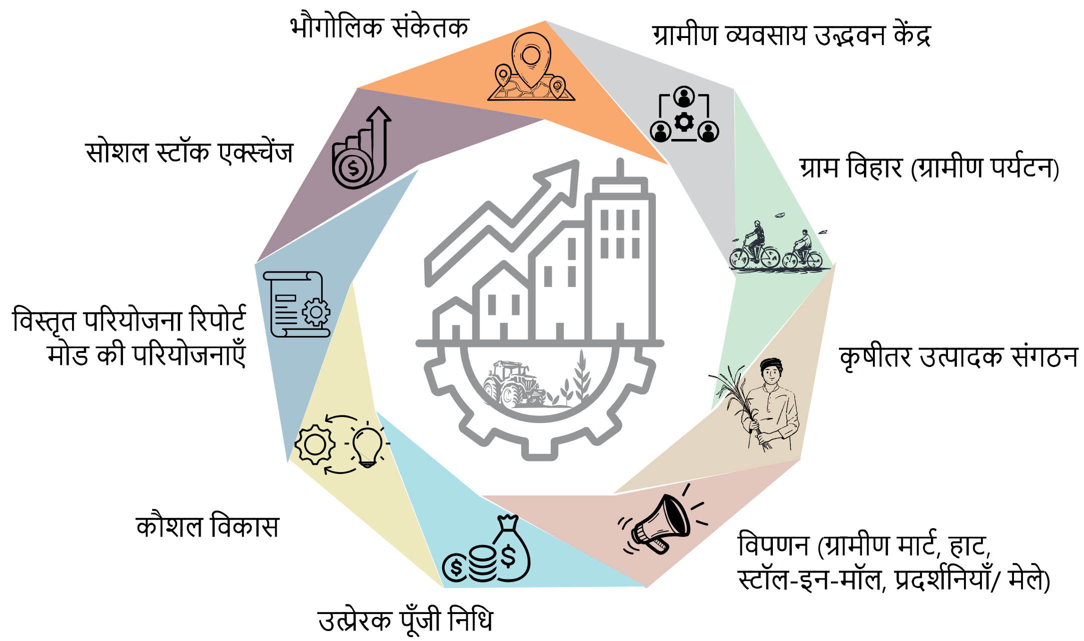

दिनांक 31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार नाबार्ड ने 27 राज्यों में 79 कृषीतर उत्पादक संगठनों के संवर्धन और विकास के लिए 26,810 लाभार्थियों को कवर करते हुए ₹40.9 करोड़ की अनुदान सहायता मंजूर की है, जिनमें से कुल 6,890 सदस्य सहित 18 पूर्णतः महिला संगठन हैं (शोकेस 4.2).

शोकेस 4.2: चन्नपट्टण लाखवेयर हस्तशिल्प के माध्यम से आजीविका में वृद्धि - एक जीआई-आधारित कृषीतर उत्पादक संगठन सफलता की कहानी

ओएफपीओ का नाम: आर्टिज़न प्राइड ऑफ-फॉर्प प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन

स्थान: मंड्या, कर्नाटक

निष्पादक संस्था: मूवमेंट फॉर ऑल्टर्नेटिव्स एंड यूथ अवेयरनेस (माया)

गतिविधि: जीआई-टैग्ड चन्नपट्टण लाखवेयर हस्तशिल्प का उत्पादन

टर्नओवर (वित्त 2025): ₹1.2 करोड़

चन्नपट्टण लाखवेयर खिलौनों को प्रदर्शित करता हुआ आर्टिज़न-प्राइड ओएफ़पीओ का सदस्य; मंड्या, कर्नाटक.

पृष्ठभूमि

वर्ष 2019 में 10 सदस्यों की छोटी सी संख्या के साथ स्थापित आर्टिज़न प्राइड ओएफपीओ ने वर्ष 2020 में 50 सदस्यों और वर्ष 2021 तक 250 सदस्यों तक तेजी से विस्तार किया. संगठन ने अपने सभी सदस्यों के लिए संधारणीय रोज़गार के अवसर सृजित किए हैं और निकट भविष्य में सदस्यता को लगभग 450 तक बढ़ाने का अपना लक्ष्य रखा है.

सहयोग

नाबार्ड के रणनीतिक मार्गदर्शन के साथ कृषीतर उत्पादक संगठन ने अपने टर्नअराउंड टाइम को कम करते हुए, अपना उत्पादन और अपनी उत्पादकता बढ़ाकर, अपने परिचालनों को सुव्यवस्थित किया है.

परिणाम

- ओएफपीओ ने उत्पाद विविधीकरण की शुरुआत करते हुए अपने उत्पाद की गुणवत्ता और लागत में स्थिरता प्राप्त की.
- संगठन ने अमेज़ान, फ्लिपकार्ट, ओएनडीसी, इंडिया मार्ट और गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जेम) पोर्टल जैसे प्लेटफॉर्मों के माध्यम से ई-कॉमर्स जगत में प्रवेश किया है.
- एक रिटेल आउटलेट की स्थापना की गई है.
- एक विशिष्ट वेबसाइट - https://artisanpride.in/ – को लॉन्च किया गया है.

प्रभाव

- आय में वृद्धि: कारीगरों की औसत मासिक आय ₹6,000 से दुगुनी होकर ₹12,000 हो गई है.
- समावेशिता: कुशलता के विभिन्न स्तरों वाले कारीगरों की आय में कम से कम 100% की वृद्धि देखी गई है.
- बाजार पहुँच: अनेक ई-कॉमर्स प्लैटफॉर्मों में प्रवेश ने इनकी दृश्यता और बिक्री का विस्तार किया.
- रोजगार सृजन: 250 से अधिक कारीगरों के लिए संधारणीय आजीविका का सृजन किया गया, और आगे भी विस्तार प्रत्याशित है.
- व्यवसाय वृद्धि: बेहतर परिचालन दक्षता और विविधीकरण के कारण वित्तीय वर्ष 2025 में कुल कारोबार बढ़कर ₹1.23 करोड़ हो गया.

चन्नपट्टण लाखवेयर खिलौनों को प्रदर्शित करता हुआ आर्टिज़न-प्राइड ओएफ़पीओ का सदस्य; मंड्या, कर्नाटक.

4.5 ग्रामीण उद्यमियों, स्टार्टअपों, विपणन और ब्रांडिंग को सहयोग प्रदान करना

4.5.1 ग्रामीण व्यवसाय उद्भवन केंद्र

ग्रामीण व्यवसाय उद्भवन केंद्र (आरबीआईसी) प्रारंभिक-चरण की सहायता प्रदाता संस्थाएँ होती हैं जो स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण भाग हैं. ये केंद्र आधारभूत संरचना और उच्च-गुणवत्ता वाली उद्भवन सेवाएँ प्रदान कर उद्यमियों को उनके व्यवसाय को विकसित करने में सहायता करते हैं.

नाबार्ड कृषि विश्वविद्यालयों और इसी तरह की संस्थाओं में आरबीआईसी की स्थापना के लिए आद्योपांत सहायता उपलब्ध कराता है (शोकेस 4.3).

शोकेस 4.3: एमएबीआईएफ - उद्भवन और उद्यम विकास के माध्यम से ग्रामीण नवोन्मेषन का संवर्धन

ग्रामीण व्यवसाय उद्भवन केंद्र (आरबीआईसी) का नाम: मदुरै एग्री-बिजनेस इनक्यूबेशन फोरम (एमएबीआईएफ)

स्थान: तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय (टीएनएयू), मदुरै

सहयोगकर्ता: नाबार्ड

संदर्भ

वर्ष 2017 में नाबार्ड के सहयोग से टीएनएयू, मदुरै में एमएबीआईएफ की स्थापना की गई थी. तब से, एमएबीआईएफ ने कृषि-नवोन्मेषन के संवर्धन में, स्टार्टअपों को सहयोग प्रदान करने में तथा तमिलनाडु के ग्रामीण उद्यम पारिस्थितिकी तंत्र में संस्थागत लिंकेजों को मजबूत करने में अपनी भूमिका का विस्तार करना जारी रखा है.

पहलें

- कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों में 170 से अधिक स्टार्टअपों के उद्भवन को सहयोग प्रदान किया.
- उद्भवन सेवाओं का एक व्यापक समूह प्रदान किया, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:
  - सह-कार्य और कार्यालय स्थान
  - प्रशिक्षण और सम्मेलन कक्ष
  - प्रयोगशालाएँ और विशेषीकृत उपकरण
  - पशु चारा उत्पादन इकाई
  - बायो-फ्लॉक एक्वाकल्चर सिस्टम
- एक बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) प्रकोष्ठ की स्थापना की, जो निम्नलिखित मदों पर परामर्श प्रदान करता है:
  - पेटेंट
  - पादप किस्मों का संरक्षण
  - ट्रेडमार्क
  - भौगोलिक संकेतक (जीआई)

उद्भवन सेवाएँ: मल्टीहेड पैकेजिंग मशीन; एमएबीआईएफ़, टीएनएयू, मदुरै.

- नाबार्ड के सहयोग से एक जीआई सुविधा केंद्र स्थापित किया, ताकि निम्नलिखित में सहायता की जा सके:
  - जीआई उत्पादों का पंजीकरण
  - उत्पादक क्षमता निर्माण
  - विपणन और ब्रांड संस्थापन
- पूरे तमिलनाडु में 25 एफपीओ के लिए क्लस्टर-आधारित व्यवसाय संगठन (सीबीबीओ) के रूप में कार्य किया.

परिणाम

- बेहतर आधारभूत संरचना और क्षमता के माध्यम से स्टार्टअप सहभागिता और सेवा प्रदान करने में वृद्धि.
- सीबीबीओ गतिविधियों के माध्यम से किसानों के समूहों हेतु संस्थागत सहायता का विस्तार.

- मूल्य संवर्धन और उत्पाद विभेदीकरण को सहयोग प्रदान करने के लिए बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) और जीआई प्रक्रियाओं का औपचारिकीकरण.
- ग्रामीण कृषि-उद्यमों के लिए मार्केट रेडीनेस और निवेशकों के विश्वास में वृद्धि.

प्रभाव

- प्रौद्योगिकी, उद्यमशीलता और आधार स्तरीय क्षमता निर्माण को एकीकृत करते हुए, ग्रामीण उद्भवन के लिए एक अग्रणी मॉडल के रूप में एमएबीआईएफ को स्थापित किया.
- कृषि-व्यवसाय में नवोन्मेषों को बड़े स्तर पर अपनाने के लिए ग्रामीण स्टार्टअपों को सशक्त बनाया.
- बाजारों तक पहुँच बनाने, अभिशासन में सुधार लाने और आय बढ़ाने हेतु एफपीओ और उत्पादक समूहों को सहयोग प्रदान किया.
- ग्रामीण उद्यम विकास में संरचनात्मक परिवर्तन लाने में उद्भवन केंद्रों की क्षमता प्रदर्शित की.

वित्तीय वर्ष 2025 में निम्नलिखित में तीन नए आरबीआईसी मंजूर किए गए:

- राजीव गांधी विश्वविद्यालय, अरुणाचल प्रदेश;
- शेर-ए-कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रिकल्चरल साइंसेज़ एण्ड टेक्नोलॉजी, श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर; तथा
- केरल कृषि विश्वविद्यालय, तिरुवनंतपुरम, केरल.

इससे मंजूर ग्रामीण कृषि उद्भवन केंद्रों की कुल संख्या 10 हो गई, जिनमें से दिनांक 31 मार्च 2025 की स्थिति में 9 आरबीआईसी काम कर रहे थे (चित्र 4.4).

चित्र 4.4: 31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार आरबीआईसी को नाबार्ड का सहयोग

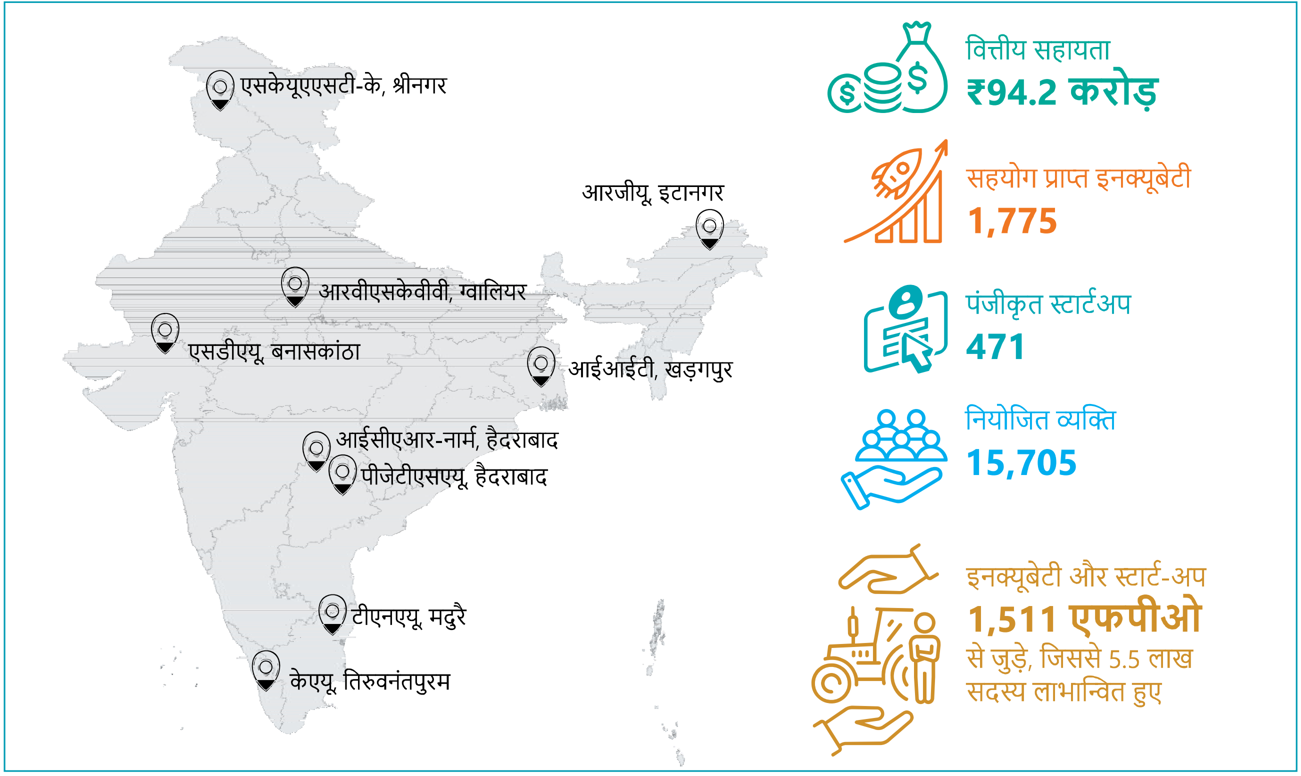

आईसीएआर - नार्म = भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद - राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी, हैदराबाद; आईआईटी = भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर; केएयू = केरल कृषि विश्वविद्यालय, तिरुवनंतपुरम; पीजेटीएसएयू = प्रोफ़ेसर जयशंकर तेलंगाणा राज्य कृषि विश्वविद्यालय, हैदराबाद; आरजीयू = राजीव गांधी विश्वविद्यालय, इटानगर; आरवीएसकेवीवी = राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर; एसडीएयू = सरदारकृषिनगर दंतिवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय, बनासकांठा; एसकेयूएएसटी-के = शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, श्रीनगर; टीएनएयू = तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, मदुरै.

नोट: स्टार्टअपों का पंजीकरण उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के साथ किया जाता है.

4.5.2 कृषि और ग्रामीण स्टार्टअपों को सहयोग प्रदान करने हेतु उत्प्रेरक पूँजी निधि

नाबार्ड ने मार्च 2020 में ग्रामीण और कृषि स्टार्टअपों को नाज़ुक "वैली ऑफ डेथ" चरण के दौरान सहायता करने हेतु उत्प्रेरक पूँजी निधि (सीसीएफ) की स्थापना की है. वर्तमान में, यह सहायता उन स्टार्टअपों को दी जाती है जिन्होंने मूल रूप से आरबीआईसी और नाबार्ड की सहायक कंपनियों के माध्यम से कम से कम एक प्रोटोटाइप या न्यूनतम व्यवहार्य उत्पाद (एमवीपी) विकसित कर लिया है. वित्तीय वर्ष 2025 के दौरान 17 स्टार्टअपों को सहयोग प्रदान करने के लिए सीसीएफ के तहत ₹4.02 करोड़ संवितरित किए गए.

4.5.3 ग्रामीण युवाओं में कौशल और उद्यमिता विकास

नाबार्ड ने समाज के वंचित वर्ग से संबंधित व्यक्तियों सहित ग्रामीण युवाओं में कौशल विकास और उद्यमिता के संवर्धन के उद्देश्य से क्षमता निर्माण की अनेक पहलों को सहयोग प्रदान करना जारी रखा है. वित्तीय वर्ष 2025 में 46 कौशल विकास कार्यक्रमों के आयोजन के लिए ₹5.8 करोड़ मंजूर किए गए.

दिनांक 31 मार्च 2025 तक व्यावसायिक और उद्यम-संबंधी प्रशिक्षण के माध्यम से ग्रामीण युवाओं की रोजगार-योग्यता बढ़ाने के लिए ₹223.7 करोड़ की अनुदान सहायता के साथ कुल 36,547 कौशल विकास कार्यक्रम मंजूर किए गए.

4.5.4 विपणन की पहलें

ग्रामीण उत्पादकों की बाजार तक पहुँच में सुधार लाने और मूल्य प्राप्ति में सुधार करने हेतु नाबार्ड ग्रामीण हाटों और मार्टों की स्थापना के लिए तथा राष्ट्रीय और क्षेत्रीय प्रदर्शनियों तथा मेलों में कारीगरों और शिल्पकारों की सहभागिता को सुविधाजनक बनाने के लिए सहयोग प्रदान कर रहा है (चित्र 4.5, शोकेस 4.4).

चित्र 4.5: विपणन पहलों की प्रगति

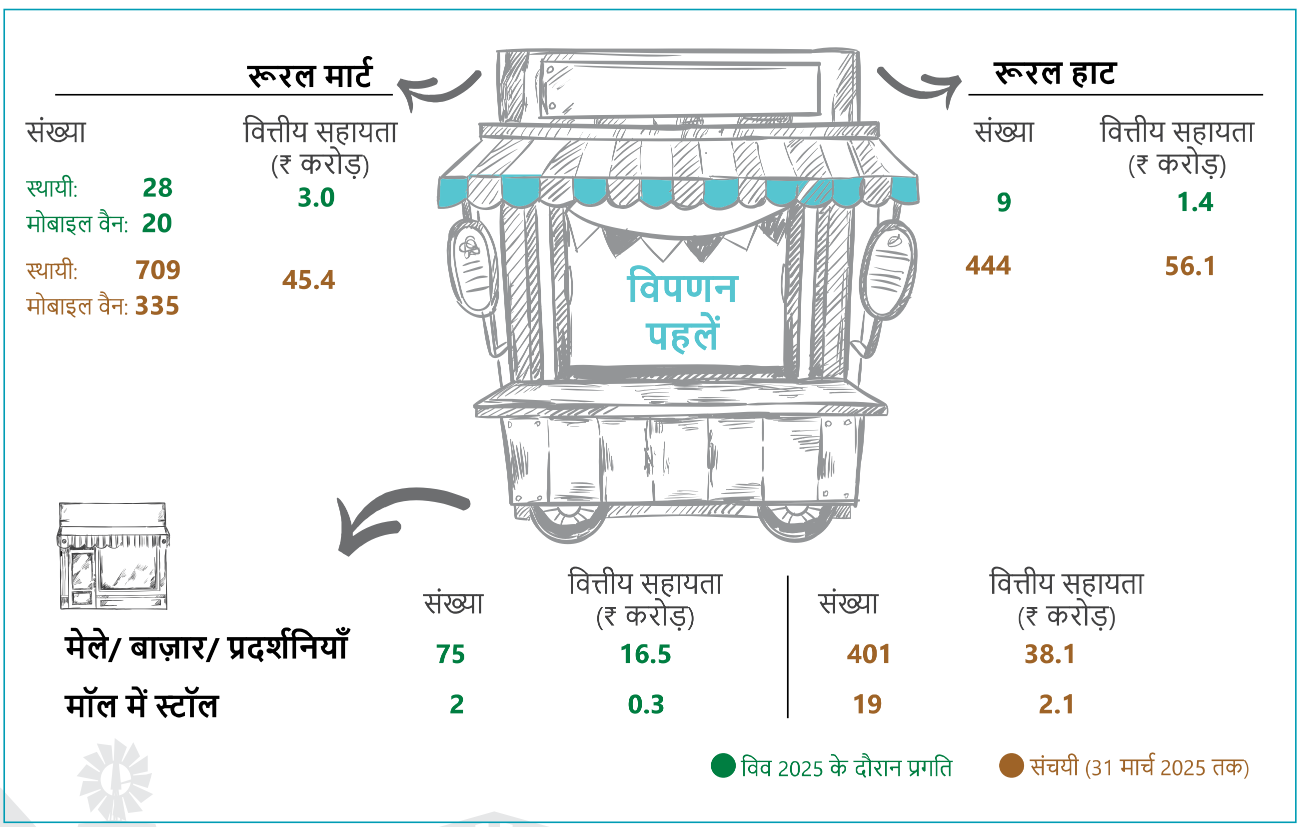

प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के संवर्धन के प्रयासों के रूप में नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों को यह सूचित किया गया है कि वे प्रमाणित विश्वकर्माओं को नाबार्ड से मंजूरी प्राप्त ग्रामीण हाटों और ग्रामीण मार्टों में स्थान आबंटित करें जिससे उनके उत्पादों के लिए विपणन सहायता उपलब्ध हो सके.

वित्तीय वर्ष 2025 में ग्रामीण मार्ट योजना के तहत एक नई गतिविधि प्रारंभ की गई, जिसका उद्देश्य विशेष रूप से स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को फूड कैफे या ढाबे का संचालन करने के लिए प्रोत्साहित करना है जिससे उन्हें आजीविका के बेहतर अवसर मिलेंगे और स्थानीय बाजारों में उनकी उपस्थिति बढ़ेगी.

ग्रामीण विकास की गति का जश्न मनाने और उसे बढ़ाने के लिए नाबार्ड ने राष्ट्रीय स्तर पर बिक्री-सह-प्रदर्शनी कार्यक्रम, ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का आयोजन किया, जिसने भारत के ग्रामीण नवोन्मेष, उद्यमशीलता और सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित किया. इस कार्यक्रम का उद्घाटन भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने किया और इसमें देश भर के हितधारक एकत्रित हुए (परिशिष्ट बॉक्स अ4.1).

शोकेस 4.4: 'मॉल में स्टॉल' - शहरी स्थानों की शोभा बढ़ाते ग्रामीण नवोन्मेष

स्थान: पीवीपी स्क्वेयर मॉल, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश

अवधि: 18 दिसंबर 2024 - 13 मार्च 2025

सहयोगकर्ता: नाबार्ड

निष्पादक संस्था: नेस्तम रुरल एंड अर्बन डेवलपमेंट सोसाइटी

मॉल में स्टॉलः नाबार्ड के सहयोग के साथ पीवीपी स्क्वैयर मॉल में विशेष स्टॉल में प्रदर्शित काश्तकारी उत्पाद; विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश

संदर्भ

ग्रामीण क्षेत्रों के काश्तकारों और शिल्पकारों को अक्सर शहरी बाजारों तक पहुँचने और अपने उत्पादों को शहरी और धनवान उपभोक्ताओं के बीच प्रदर्शित करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. इस कमी को पहचानते हुए नाबार्ड ने ग्रामीण उत्पादकों के लिए दृश्यता तथा आय के अवसर बढ़ाने के लिए स्टॉल इन मॉल योजना के तहत एक बाजार लिंकेज प्लैटफॉर्म प्रारंभ किया.

पहल

नेस्तम रूरल एंड अर्बन डेवलपमेंट सोसाइटी के सहयोग से विजयवाड़ा के पीवीपी स्क्वेयर मॉल में 91-दिवसीय 'मॉल में स्टॉल' प्रदर्शनी का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम में हथकरघा और हस्तशिल्प में विशेषज्ञता रखने वाले 48 ग्रामीण काश्तकारों को एक साथ लाया गया जिससे उन्हें भारी आवा-जाही वाले खुदरा परिवेश में शहरी उपभोक्ताओं से सीधे संपर्क में आने का अवसर मिला.

परिणाम

- महीने की निरंतर अवधि में 48 ग्रामीण काश्तकारों की सहभागिता.
- हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों की विविध शृंखला का प्रदर्शन.
- शहरी खरीदारों से जुड़ने और खुदरा विपणन तकनीकों को सीखने का प्रत्यक्ष अनुभव.

प्रभाव

- कुल बिक्री ₹50 लाख की रही, जिससे आय में सीधे तौर पर वृद्धि हुई.
- काश्तकारों को बल्क और रिपीट ऑर्डर प्राप्त हुए, जिससे व्यापार संधारणीयता में सुधार हुआ.
- शहरी बाजारों में पहुँच से बाजार पहुँच में उल्लेखनीय विस्तार हुआ और ग्राहक जुड़ाव में विश्वास बढ़ा.
- इस पहल ने बाजार पहुँच और कौशल निर्माण के माध्यम से आजीविकाओं के दीर्घकालिक परिवर्तन में योगदान दिया.

4.5.5 ग्राम विहार (ग्रामीण पर्यटन)

ग्रामीण पर्यटन के सेक्टर को बढ़ावा देने और ग्रामीण समुदायों के लिए स्थायी रोज़गारों के संवर्धन के लिए नाबार्ड ने ग्राम विहार नामक एक नई योजना शुरू की है जो ग्रामीण और इको-टूरिज़म पर केंद्रित है. यह योजना होमस्टे, डे-टूर, ग्रामीण परिवहन, कलाकृतियों की बिक्री, लोक संगीत और नृत्य प्रदर्शनों, तथा स्थानीय कला, शिल्प, संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण जैसी गतिविधियों को प्रोत्साहित करती है.

ग्राम विहार, पर्यटकों को देहाती परिवेश में समय बिताने और ठेठ ग्रामीण जीवनशैली का अनुभव करने में सक्षम बनाता है. वित्तीय वर्ष 2025 में चार परियोजनाओं की पहचान की गई और डीपीआर तैयार करने हेतु उन पर विचार किया जा रहा है.

4.5.6 जीआई उत्पादों का संवर्धन

दिनांक 31 मार्च 2025 तक नाबार्ड ने 464 जीआई उत्पादों के पंजीकरण और पंजीकरणोपरांत की गतिविधियों को सहयोग प्रदान किया है जिनमें से 138 उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त हो चुके हैं. अकेले वित्तीय वर्ष 2025 में ही अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सात उत्पादों को नाबार्ड के सहयोग से जीआई पंजीकरण प्राप्त हुआ.

वित्तीय वर्ष 2025 के दौरान एक सकेंद्रित और समावेशी दृष्टिकोण के साथ 181 नए उत्पादों के लिए सहयोग को मंजूरी प्रदान की गई जिससे सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में कवरेज सुनिश्चित किया जा सके (शोकेस 4.5).

साथ ही, निम्नलिखित के पंजीकरण के लिए सहायता प्रदान की गई:

- अरुणाचल प्रदेश के 13 जीआई उत्पादों के लिए 1,600 प्राधिकृत उपयोगकर्ता, और
- महाराष्ट्र के छह जीआई उत्पादों के लिए 4,500 प्राधिकृत उपयोगकर्ता.

जनवरी 2025 में आयोजित ग्रामीण भारत महोत्सव के दौरान 16 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के **116** जीआई उत्पाद प्रदर्शित और बिक्री के लिए प्रस्तुत किए गए जिसमें भारत की समृद्ध काश्तकारी विरासत को प्रदर्शित किया गया (परिशिष्ट बॉक्स अ4.1).

शोकेस 4.5: विरासत का परचम लहराया - जीआई पंजीकरण के माध्यम त्रिपुरा पचरा को मिली स्थानीय विरासत से राष्ट्रीय पहचान

परियोजना: त्रिपुरा पचरा का जीआई पंजीकरण

निष्पादक संस्था: त्रिपुरा ग्रामीण आजीविका मिशन

संदर्भ

त्रिपुरा की पारंपरिक पचरा बुनाई एक जीवंत और जटिल कला का प्रतिनिधित्व करती है. यह राज्य की सांस्कृतिक विरासत में रची-बसी है. प्राकृतिक रेशों से बुने तथा महीन विवरणों और स्वदेशी डिज़ाइनों की विशेषता वाले पचरा उत्पाद कार्यात्मक और कलात्मक, दोनों होते हैं. इसकी विरासती महत्ता और वाणिज्यिक संभाव्यता को पहचानते हुए नाबार्ड ने पचरा के लिए जीआई पंजीकरण की सुविधा हेतु पहल को सहयोग प्रदान किया जिससे इसका दर्जा बढ़ा और काश्तकार समुदाय के लिए अवसरों में विस्तार हुआ.

पहलें

- 150 कारीगरों को शामिल किया गया, जिससे सामुदायिक और मिलकर कार्य करने की भावना को बढ़ावा मिला.
- पारंपरिक पचरा शिल्प,जो हाथ से बुने हुए प्राकृतिक-फाइबर आधारित डिज़ाइनों के लिए जाना जाता है, के संरक्षण और संवर्धन पर ध्यान केंद्रित किया गया.
- उत्पाद की दृश्यता बढ़ाने के लिए स्थानीय और क्षेत्रीय बाज़ारों के साथ विपणन सहयोग स्थापि किए गए.
- उत्पादन बढ़ाने और बाज़ार तक पहुँच का विस्तार करने में कारीगरों के लिए सहायता बढ़ाने के लिए सरकारी और गैर-सरकारी संस्थाओं के साथ साझेदारियाँ प्रारंभ कीं.

परिणाम

- एक अद्वितीय सांस्कृतिक उत्पाद के रूप में त्रिपुरा पचरा के संबंध में जागरूकता और मान्यता बढ़ी.
- औपचारिक गठ-जोड़ों और कोलैबोरेटिव नेटवर्कों के माध्यम से बाज़ार तक पहुँच का विस्तार हुआ.
- क्षेत्र में शिल्पगत पारिस्थितिकी तंत्र के लिए संस्थागत सहयोग को सुदृढ़ किया गया.

प्रभाव

- काश्तकारों ने बेहतर बाजार पहुँच और जीआई पंजीकरण के प्रत्याशित लाभों के परिणामस्वरूप आय में उल्लेखनीय वृद्धि रिपोर्ट की.
- परियोजना ने पचरा को संभावित राष्ट्रीय और वैश्विक सांस्कृतिक पहचान के उत्पाद के रूप में स्थापित करते हुए परंपरागत कौशल को पुन:स्थापित किया.
- इस पारंपरिक शिल्प को बाजार तक पहुँच और बौद्धिक संपदा के उपकरणों से जोड़ने के लिए एक दोहराने-योग्य मॉडल बनाया गया.

त्रिपुरा पचरा के जीआई पंजीकरण के साथ स्वदेशी महिला काश्तकार बेहतर आय और बाज़ार तक विस्तारित पहुँच का लाभ उठाते हुए.

जीआई = भौगोलिक संकेतन.

4.6 अनुसंधान को बढ़ावा देना और ज्ञान की साझेदारी का संवर्धन

नाबार्ड अपनी समर्पित अनुसंधान और विकास (आरएण्डडी) निधि का लाभ उठाते हुए व्यापहारिक सामाजिक-आर्थिक अध्ययनों, संगोष्ठियों, प्रकाशनों, छात्र सहभागिता योजनाओं और प्रशिक्षण को सहयोग प्रदान करने के लिए करता है. इन प्रयासों का उद्देश्य कृषि और ग्रामीण विकास में ज्ञान के आधार का विस्तार करना तथा नीति निर्माताओं, हितधारकों और जन सामान्य में अंतर्दृष्टियों का प्रसार करना है.

4.6.1 नाफिस 2021-22

नाबार्ड ने अक्तूबर 2024 में द्वितीय अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण (नाफिस) 2021-22 के निष्कर्ष जारी किए. सर्वेक्षण में 28 राज्यों और 2 संघ राज्य क्षेत्रों के 1 लाख ग्रामीण परिवारों से आर्थिक और वित्तीय संकेतकों की एक विस्तृत श्रृंखला पर प्राथमिक डेटा प्राप्त किया गया. यह सर्वेक्षण घरेलू आय, बचतों, ऋण, बीमा, पेंशनों, धन-प्रेषणों तथा वित्तीय साक्षरता का व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत करता है जिससे ग्रामीण भारत में वित्तीय समावेशन और आजीविका की स्थिति के संबंध में बहुमूल्य सूचनाएँ प्राप्त होती हैं..

4.6.2 ग्रामीण आर्थिक परिस्थिति और प्रवृत्ति सर्वेक्षण

ग्रामीण आर्थिक परिस्थिति और प्रवृत्ति सर्वेक्षण (आरईसीएसएस) द्विमासिक रूप से आयोजित किया जाता है जिसमें देश भर के 600 गांवों के 6,000 घरों से समष्टिगत आर्थिक डेटा प्राप्त किया जात है. इसमें आय, खपत, वित्तीय बचतें, उधार, ब्याज की दरें और मुद्रास्फीति की अपेक्षाओं जैसे प्रमुख मापदंडों को शामिल किया जाता है. इसके निष्कर्ष साक्ष्य-आधारित नीति निर्धारण के लिए एक मूल्यवान निविष्टि के रूप में कार्य करते हैं. मई 2025 तक की स्थिति के अनुसार आरईसीएसएस रिपोर्ट के पाँच चक्र (सितंबर 2024, नवंबर 2024, जनवरी 2025, मार्च 2025 और मई 2025) प्रकाशित किए जा चुके हैं.

4.6.3 अनुसंधान अध्ययनों, संगोष्ठियों और सम्मेलनों को सहयोग प्रदान करना

वर्तमान में चल रहे 20 संस्थानिक और सहयोगी शोध अध्ययनों में से तीन को वित्तीय वर्ष 2025 में मंजूर किया गया था. इसी वर्ष, नाबार्ड ने 125 संगोष्ठियों और सम्मेलनों को सहयोग प्रदान किया जिनमें संधारणीय ग्रामीण विकास, बागवानी में डिजिटल रूपांतरण, कृषि-उद्यमशीलता, संधारणीय विकास और नीली अर्थव्यवस्था जैसे विविधीकृत विषय शामिल किए गए.

4.6.4 छात्र सहभागिता योजनाएँ

नाबार्ड ने स्टूडेंट इंटर्नशिप योजना (एसआईएस) और उत्कृष्ट पीएचडी थीसिस के लिए प्रशस्ति-पत्र प्रदान करने के माध्यम से शैक्षणिक सहभागिता को बढ़ावा देना जारी रखा है, ताकि युवा शोधार्थियों को ग्रामीण विकास अनुसंधान में योगदान देने हेतु प्रोत्साहित किया जा सके.

4.6.5 प्रकाशन

1. वित्तीय वर्ष 2024 में नाबार्ड ने अपने अनुसंधान के प्रमुख निष्कर्षों और अनुशंसाओं को प्रसारित करने के लिए नीतियों के सारांश प्रकाशित करना प्रारंभ किया. दिनांक 31 मार्च 2025 तक नैब पॉलिसी ब्रीफ़्स के सात अंक जारी किए गए हैं.
2. इकोथिंक (मासिक) और इकोवॉच (पाक्षिक) जैसी आवधिक पत्रिकाएँ आंतरिक समितियों और विभागों को संसूचित रखती हैं.
3. नाबार्ड की रिसर्च एंड पॉलिसी सीरीज़ के अंतर्गत तेरह प्रपत्र प्रकाशित किए गए हैं जो प्रासंगिक मुद्दों पर आधिकारिक अंतर्दृष्टि और नीतिगत सुझाव प्रदान करते हैं.
4. नाबार्ड ने वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु अपनी इम्पैक्ट रिपोर्ट का दूसरा संस्करण जारी किया जिसमें ट्रिपल बॉटम लाइन – पीपल, प्लैनेट और प्रॉफिट के अंतर्गत अपने सहयोगों के क्षेत्र-स्तरीय परिणामों को दस्तावेजीकृत किया गया है. रिपोर्ट में सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के लिए नाबार्ड की पहलों को भी दर्शाया गया है जो संधारणीयता के संवर्धन के प्रति इसकी प्रतिबद्धता प्रतिबिंबित करती है.

4.7 आगे की राह

स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी), संयुक्त देयता समूहों (जेएलजी), कृषक उत्पादक संगठनों (एफपीओ) और कृषीतर उत्पादक संगठनों (ओएफपीओ) जैसी आधार स्तरीय संस्थाएँ, समावेशी ग्रामीण विकास के संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं. जहाँ एसएचजी और जेएलजी वित्तीय समावेशन और सामाजिक सामंजस्य को बढ़ावा देते हैं, वहीं एफपीओ और ओएफपीओ सामूहिकीकरण, मूल्य वर्धन और बेहतर मूल्य प्राप्ति के माध्यम से आय का सृजन बढ़ाते हैं. ये संस्थाएँ सरकारी योजनाओं और विकास कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए प्रमुख माध्यमों के रूप में भी कार्य करती हैं.

भविष्य की ओर देखते हुए, नाबार्ड ग्रामीण रोजगार के अवसरों का सृजन करने, आजीविकाओं में सुधार लाने, और एक अनुकूल, सुदृढ़ तथा विविधतापूर्ण कृषि क्षेत्र के लिए इसके सहयोग को बनाए रखते हुए संधारणीय आर्थिक प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए एफपीओ, ओएफपीओ और ग्रामीण एमएसएमई को रणनीतिक रूप से स्केल-अप करने पर ध्यान केंद्रित करेगा.

अध्याय 4 का परिशिष्ट

बॉक्स अ4.1: ग्रामीण भारत महोत्सव

कार्यक्रम: ग्रामीण भारत महोत्सव 2025

तिथियाँ: 4 से 9 जनवरी 2025

आयोजक: नाबार्ड - वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में

थीम: विकसित भारत 2047 हेतु एक सुदृढ़ ग्रामीण भारत का निर्माण

पहलें

- महोत्सव के दौरान प्रमुख विषयों पर पैनल चर्चाएँ आयोजित की गईं, जैसे:
    - ◊ आर्थिक समृद्धि के लिए जीआई उत्पादों का लाभ उठाना
    - ◊ जैविक कृषि को स्केल-अप करना
    - ◊ ग्रामीण महिलाओं के नेतृत्व वाले स्केलेबल उद्यमों का निर्माण करना
    - ◊ समावेशी विकास का संवर्धन करना, विशेष रूप से पूर्वोत्तर में
- अपने उत्पादों और नवोन्मेषों को प्रदर्शित करने हेतु ग्रामीण काशतकारों, उद्यमियों और स्वयं सहायता समूहों को एक राष्ट्रीय मंच प्रदान किया गया.
- वित्तीय समावेशन, क्षमता निर्माण और डिजिटल वाणिज्य पर बल दिया गया, विशेष रूप से महिला उद्यमियों और सहकारी समितियों के लिए.
- ग्रामीण व्यवसायों के लिए बाजार संपर्क के अवसर सृजित किए गए और दृश्यता बढ़ाई गई.
- नाबार्ड ने स्टार्टअप महाकुंभ 2025, नई दिल्ली में एग्रिटेक पवेलियन के प्रमुख प्रायोजक के रूप में भी कार्य किया, जिसमें, नाबार्ड से सहयोग प्राप्त आरबीआईसी द्वारा इनक्यूबेट किए गए 30 स्टार्टअपों ने अपने उत्पादों और अपनी प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन किया.

प्रभाव

- भारतीय गांवों में ग्रामीण उद्यमिता को सुदृढ़ किया और आत्मनिर्भरता को बढ़ाया.
- जैविक खेती, डिजिटल विपणन और सहकारी सशक्तीकरण के माध्यम से संधारणीय आजीविकाओं को बढ़ावा मिला.
- ग्रामीण-शहरी बाजार एकीकरण को उत्प्रेरित किया, जिससे दीर्घकालिक ग्रामीण आर्थिक विकास सक्षम हुआ.
- महिलाओं की आर्थिक सहभागिता को बढ़ाने के माध्यम से और पूर्वोत्तर जैसे अल्प-प्रतिनिधित्व प्राप्त क्षेत्रों की ओर राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित कर, समावेशी विकास का संवर्धन किया गया.

ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 में देशभर से बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने भाग लिया.

माननीय प्रधानमंत्री को स्मृति-चिह्न भेंट करते हुए श्री शाजी के. वी., अध्यक्ष, नाबार्ड

माननीय प्रधानमंत्री का संबोधन

माननीय प्रधानमंत्री स्टॉल देखते हुए और कारीगरों के साथ बातचीत करते हुए.

जीआई = भौगोलिक संकेतन, आरबीआईसी = ग्रामीण व्यवसाय उद्भवन केंद्र, एसएचजी = स्वयं सहायता समूह.